विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 के0 पी0 श्रीवास्तव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>6(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि आर0 एस0 फिलिंग स्टेशन बादशाहनगर लखनऊ से बादशाहनगर चौराहे तक (पेट्रोल पम्प की साइड में) कौन-कौन सी दुकानें तथा व्यावसायिक काम्प्लेक्स के भवन किन-किन व्यक्तियों के नाम से रजिस्टर्ड है?</td><td>आर0 एस0 फिलिंग स्टेशन बादशाहनगर लखनऊ से बादशाहनगर चौराहे तक (पेट्रोल पम्प की साइड में) स्थित दुकान / व्यावसायिक काम्प्लेक्स, जो कि नगर निगम अभिलेखों में दर्ज है, के विवरण निम्नवत हैं :-
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>नाम</th><th>वार्षिक गृहकर की धनराशि (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन</td><td>24651.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्रीमती गीतांजलि</td><td>148716.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री राना प्रताप यादव</td><td>12939.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अध्यासी मिराज अहमद</td><td>6692.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ख) उक्त दुकानों तथा व्यावसायिक स्थलों से नगर निगम को प्रतिवर्ष कितना-कितना राजस्व/कर प्राप्त होता है?</td><td>उपरोक्तानुसार।</td></tr>
<tr><td>(ग) यदि नहीं, तो अनधिकृत रूप से संचालित हो रही दुकानों पर कब तक कार्यवाही करके सदन को अवगत करायेंगे?</td><td>प्रश्नगत क्षेत्र में संचालित उपर्युक्त 04 दुकान / व्यावसायिक काम्प्लेक्स के अतिरिक्त 22 दुकानें / व्यावसायिक काम्प्लेक्स भी संचालित है। उक्त 22 दुकानें / व्यावसायिक काम्प्लेक्स नजूल भूमि पर निर्मित है, जिनके फ्री-होल्ड किये जाने के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई भी पुष्टिकारक अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है। उपर्युक्त दुकानें अभी तक नगर निगम के अभिलेखों में रजिस्टर्ड नही है। नगर निगम, लखनऊ के पत्र दिनांक 07.08.2025 द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण से उपर्युक्त दुकानों की भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराये जाने को कहा गया है। उक्त के अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों / दुकानदारों से दुकानों के आवंटन / फ्री-होल्ड किये जाने के संबंध में अभिलेख 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भी निर्गत की गयी है। उपर्युक्त अभिलेख / सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</td></tr>
</table>

(ए.के. शर्मा)
मंत्री